



राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
तृतीयतल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक: निसंशि/शैक्ष-2/पं.131/2015-16-00359

दिनांक:

समस्त प्राचार्य/सचिव,

संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,

राजस्थान।

विषय:— विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के आवेदन-पत्र के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा संस्कृत बीएसटीसी संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं द्वारा संदेय शुल्क का पुनर्भरण किया जाता है।

इस क्रम में सत्र 2024-25 में संस्कृत बीएसटीसी संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के शुल्क पुनर्भरण हेतु संबंधित का बचत बैंक खाता खुलवाकर निम्न प्रपत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति कर आवेदन पत्र मय संलग्नक सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग को **15 जनवरी 2025** तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो तो शून्य की सूचना आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

क्र. सं.	संस्था का नाम	विधवा/परित्यक्ता का नाम व पता	प्रवेश तिथि	जन्म तिथि	बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता व खाता संख्या	IFSC Code	मोबाईल नम्बर, आधार नं., जनआधार नं., पैन नं.

(डॉ. शालिनी सक्सैना)

संयुक्त निदेशक

निदेशालय संस्कृत शिक्षा

दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/शैक्ष-2/पं.131/2015-16-00359

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर डलवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- संबंधित पत्रावली।

RajKaj Ref
12415818



Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Shalini Saxena
Designation : Joint Director
Date: 2024.12.13 14:50:44 IST
Reason: Approved



राजस्थान-सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक:-निसंशि/शैक्ष-1/पं.121 पार्ट II/2016-01313

दिनांक:

- समस्त प्राचार्य,
शिक्षा-शास्त्री महाविद्यालय,
राजस्थान।
- कुल सचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,
मदाऊ, जयपुर।

विषय :- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के आवेदन-पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा-शास्त्री संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं द्वारा संदेय शुल्क का पुनर्भरण किया जाता है।

इस क्रम में सत्र 2024-25 में शिक्षा-शास्त्री संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के शुल्क पुनर्भरण हेतु संबंधित का बचत खाता बैंक में खुलवाकर निम्न प्रपत्र के सभी कालमों की पूर्ति कर आवेदन-पत्र मय सलंगनक सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग को 15 जनवरी 2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निश्चित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शून्य की सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

प्रपत्र

क्र. सं.	संस्था का नाम	विधवा/परित्यक्ता का नाम व पता	प्रवेश तिथि	जन्म तिथि	बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता खाता संख्या	IFSC Code No.	मोबाईल नं. आधार कार्ड नं. भामाशाह कार्ड नं. पैन नं.
1	2	3	4	5	6	7	8

(डॉ. शालिनी सक्सेना)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

दिनांक:

क्रमांक:-निसंशि/शैक्ष-1/पं.121 पार्ट II/2016-01313

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature Not Verified



Digitally signed by Dr. Shalini Saxena

Designation : Joint Director

Date: 2024.12.18 12:08:40 IST

Reason: Approved